[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

2. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उपजों के समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद राज्यों द्वारा कृषि फसलों की खरीद की दोषपूर्ण व्यवस्था होने के कारण किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :-

'मैच फिक्सिंग' में किकेट खिलाड़ियों का संलिप्त होना और इस मामले में की जा रही जांच की प्रगति।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : कल जब हम प्रधान मंत्री जी के साथ बैठक में व्यस्त थे तो पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) के कार्यकर्ताओं ने ग्यारह खेतिहर श्रमिकों की निर्मम हत्या की...*(व्यवधान)* मृत लोगों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग और महिलाएं भी शामिल हैं...*(व्यवधान)* सुचपुर गांव में ग्यारह लोगों की हत्या की गई। कल इस मामले के बारे में माननीय गृह मंत्री ने उत्तर दिया था। अब प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद माननीय गृह मंत्री सभा को इस घटना के बारे में सूचित करने की कृपा करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। श्री बंद्योपाध्याय, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अपराह्न 12.11 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी के संबंध में की गई टिप्पणी के बारे में

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री राम जेठमलानी ने भारतीय मुख्य न्यायधीश और भारतीय महान्यायवादी से संबंधित कुछ वक्तव्य दिए हैं। मैंने उनके वक्तव्य पढ़ लिए हैं। मेरी सरकार, श्री राम जेठमलानी के विचारों से सहमत नहीं है। जिसे वे सच कह रहे हैं, हम उससे पूरी तरह से असहमत हैं। सरकार, राज्यों के विभिन्न स्कंधों के मध्य, सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने में विश्वास रखती है। जिस मुद्दे को लेकर श्री राम जेठमलानी ने भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश के साथ पत्राचार किया उसके बारे में मेरा यही मानना था कि इस संबंध में सही-गलत को जाने बिना मुख्य न्यायधीश और विधि मंत्री के आपसी मतभेदों के कारण सौहार्दपूर्ण संबंधों में असंतुलन नहीं आना चाहिए। इस तरह इस सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए, मैंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, श्री राम जेठमलानी से त्यागपत्र देने को कहा।

मैंने, भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध, उनके द्वारा कल 27 जुलाई को जारी वक्तव्य को पढ़ लिया है। मैं पुन: कहता हूं कि मेरी सरकार उनके इस विचार से पूरी तरह असहमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' प्रारंभ करेगी।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, यह वक्तव्य एक सामान्य सा वक्तव्य है, जबकि इनके वक्तव्य से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति कैसे दी गई? समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की गोपनीयता का मुद्दा क्या है?...*(व्यवधान)* भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध श्री राम जेठमलानी द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों पर क्या किया गया? कार्यपालिका और विधायिका में टकराव पर क्या किया गया? ...*(व्यवधान)* ये सभी मामले स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसलिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। कृपया इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है—यह संविधान का मुद्दा है, यह मुद्दा है कार्यपालिका और विधायिका के नाजुक संतुलन का, और यह भी कि गोपनीय दस्तावेजों का प्रयोग कैसे किया गया? साथ ही यह मुद्दा है महान्यायवादी के संभावित गलत व्यवहार का, महान्यायवादी द्वारा पूर्व विधि मंत्री से ली गई अनुमति का जबकि उसे प्रधान मंत्री के संरक्षण में नियुक्त किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इन सभी मुद्दों पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए तथा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दें, जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी...*(व्यवधान)* महोदय,

---

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप मेरी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। मुझे कुछ गम्भीर बातें कहनी हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरी बात सुनलें क्योंकि कुछ मूलभूत मुद्दे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह 'शून्य-काल' है। मैं उन माननीय सदस्यों के नाम बुला रहा हूं जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बारी-बारी से बुला रहा हूं। कृपया अपन स्थान ग्रहण करें। कृपया एक बात समझें। आज सप्ताह का अंतिम दिन है। आज मुझे चालीस नोटिस मिले हैं। कई माननीय सदस्य 'शून्य-काल' के दौरान कई महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। यदि इसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप उन माननीय सदस्यों को बोलने दें जो नोटिस दे चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों को बारी-बारी से बुला रहा हूं। पहले श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर हवाई अड्डा, जिसे सांगानेर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसके विस्तार की योजना और उसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा बनाने का फैसला सरकार ने लिया। 15 अक्तूबर, 91 को इसकी अधिसूचना जारी हुई, लेकिन आठ गांवों के लोग, जो भूस्वामी थे—बुद्धसिंहपुरा, मनोहरपुरा, टीलावाला, बाढ़ टीलावाला, जगतपुरा, खोखावाला, सूरजपुरा घाटी तथा समाई गटोर गांव की जो जमीन थी, इस जमीन को वे किसान पहले ही सहकारी आवास समितियों को बेच चुके थे। किसानों ने आवास समितियों को जमीन बेची और आवास समितियों ने जमीन दूसरे लोगों को दे दी। मध्यम वर्ग के लोगों ने समितियों से भूमि खरीद कर मकान बना लिए। यह बेचने वाला काम 1981 से 1991 के बीच में हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि 1992 से पहले जिन समितियों ने इस प्रकार की जमीन बेची है, उसे भूखंडधारियों से विकास शुल्क लेकर निर्मित कर दिया जाएगा। 75 प्रतिशत जयपुर शहर इसी तरह से बसा हुआ है। आज सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि वे 500-600 परिवारों के लोग कहां जाएं, क्योंकि उनके मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। 'शून्य-काल' के दौरान केवल एक या दो मिनटों की ही अनुमति है। 'शून्य-काल' के दौरान भाषणों की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मेरी आपके मार्फत सरकार से प्रार्थना है कि उन लोगों को उजाड़ने का काम न किया जाए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बोलेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य-काल' है। आप इनकी बात का खण्डन कर सकते हैं किन्तु अभी नहीं। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इन्हें राज्य से संबंधित मामला उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा में हर एक, राज्य से संबंधित मामले ही उठा रहा है। आप भी राज्य से संबंधित मामला उठा रहे हैं। ये क्या है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, कल बीरभूम जिले में ग्यारह ग्रामीणों और भूमिहीन मजदूरों की नृशंस हत्या कर दी गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है एवं उनकी हत्याएं... *(व्यवधान)*

1 जनवरी, 1998 से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान कर चुका है।...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।